कार्यालय वनमंडलाधिकारी, केशकाल वनमण्डल, केशकाल
जिला - कोण्डागाँव, छत्तीसगढ़

Telephone & Fax - 07848-259337 E-mail - dfokeshkal@gmail.com

GSTIN - 22AAAGK0512N1ZQ

क्रमांक/मा.चि./ 7789 केशकाल, दिनांक 21/ 10 /2020

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
कांकेर वृत्त कांकेर

विषय :– Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for BharatNet Phase-II Keshkal Division "BharatNet Project which is a GOI initiative. Under this project, connectivity will be provided at 5987 GPs & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466 KM. The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM. will involve 26 districts across the State" Area-14.772 ha.

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./2020/6482 दिनांक 14.10.2020

— ☼ —

Chief Conservator of Forest, NO. 7577 Date 22-10-2020

निवेदन है कि, विषयांकित प्रकरण में संदर्भित पत्रानुसार उठाई गई आपत्तियों का निराकरण निम्नानुसार किया गया है :–

1. प्रत्यावर्तन हेतु आवेदित भूमि का रकबा 14.772 हे. है एवं गैर वनभूमि का प्रत्यावर्तन नहीं होना है तथा पंजीयन भी 14.772 हे. का ही किया गया है।
2. प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि का के.एम.एल. फाईल में ओ.एफ.सी. लाईन का डी.जी.पी.एस. पाईन्ट द्वारा जनित ओ.एफ.सी. लाईन दर्शाया गया है। जिसके आधार पर ही एफ.एम.आई.एस. वनमंडल से मानचित्र का निर्माण किया गया है, जिसमें व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया है।
3. गैर वन भूमि प्रत्यावर्तन नहीं होने के करण कलेक्टर के प्रमाण–पत्र की आवश्यकता नहीं है।
4. प्रकरण की पंजीयन में गैर वन भूमि उल्लेख नहीं होने के कारण स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेख नहीं किया गया है।
5. प्रपत्र भाग - 02 के बिन्दु क्रमांक 01 के उप बिन्दु (vi) में घनत्व एवं साईट क्वालीटी दर्ज किया गया है।
6. गैर वन क्षेत्र वन विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित नहीं किये जाने के कारण नक्शा खसरा की आवश्यकता नहीं है।
7. वन प्रबंधन सूचना प्रणाली वनमंडल से प्राप्त मानचित्र वेबसाईट में अपलोड किया गया है।
8. प्रकरण पंजीयन में गैर वन भूमि नहीं होने के कारण चेकलिस्ट की कंडिका क्रमांक - 07 के बिन्दु क्रमांक - 03 में उल्लेख नहीं किया गया है।
9. ओ.एफ.सी. लाईन बिछाने हेतु प्रस्तावित कक्षवार विवरण चेक लिस्ट 03 में उल्लेखित है तथा डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट का पृष्ठ क्रमांक - 14 से 27 में विस्तृत विवरण संलग्न है।
10. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./7439 दिनांक 30.09.2020 में चेक लिस्टवार प्रस्ताव का पृ.संख्या उल्लेख करते हुए संक्षेपिका संलग्न है।
11. छ.ग. शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक/एफ.5-8/2020/10-2 दिनांक 21.09.2020 के निर्देशानुसार आवेदिका वन क्षेत्र का विवरण संलग्न है।
12. प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक - 78 में कलेक्टर जिला कोण्डागाँव से दिनांक 04.12.2020 को प्राप्त FRA प्रमाण–पत्र संलग्न है।

मुख्य वन संरक्षक कांकेर वृत्त, कांकेर

Scanned with CamScanner

13. कलेक्टर द्वारा जारी वन अधिकार मान्यता पत्र से संबंधित अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी होने के फलस्वरूप इस संबंध में खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति का अनुमोदन का कार्यवाही विवरण आवश्यकता नहीं है।

अतः प्रकरण वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्ग दर्शिका सिद्धांतों के अनुरूप सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर एवं आपके द्वारा उठाई गई आपत्तियों के निराकरण कर अग्रीम कार्यवाही हेतु संप्रेषित है।

संलग्न :– उपर्युक्तानुसार।

वनमंडलाधिकारी
केशकाल वनमंडल केशकाल
जिला कोण्डागाँव (छ.ग.)

Scanned with CamScanner